कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक............................../ दिनांक............................../

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 537 दिनांक 03.03.2017, आपका ज्ञापांक 1231 दिनांक 18.05.2017 एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 हजारीबाग का पत्रांक 1164 दिनांक 30.05.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्र संख्या 5529 दिनांक 07.12.2016 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर 04 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। जिसमें पृच्छा संख्या 03 " मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड रांची का मंतव्य " उपलब्ध कराने से संबंधित है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा 04 बिन्दुओं में की गई पृच्छाओं में से पृच्छा संख्या 1, 2 एवं 4 का निराकरण प्रतिवेदन/ अभिलेख समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया था। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 हजारीबाग ने अपने प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छा संख्या 01, 02 एवं 04 का निराकरण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। पृच्छाओं का निराकरण की स्थिति निम्नवत दी जा रही है :–

पृच्छा क्रमांक	पृच्छा	पृच्छा का अनुपालन	अभियुक्ति
1	FRA, 2006 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के क्रम में की गई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही ।	अंचल अधिकारी, चौपारण के पत्रांक 860 दिनांक 18.08.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में प्रेषित ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति वोटर लिस्ट के साथ संलग्न है।	
2	प्रस्ताव में सन्निहित 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाडी भूमि के उपयोग	उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 1355 दिनांक 05.05.2017 द्वारा 0.014 हे0	

	हेतु संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र ।	गैरमजरूआ खास जंगल एवं ज्ञापांक 1354 दिनांक 05.05.2017 द्वारा 0.294 हे0 कुल (0.014+ 0.294) 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल झाडी भूमि का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।	
4	प्रस्तावित C.A. Land का D.G.P.S. Map.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित मौजा चौपारण प्लौट नं0 21 रकवा 12 हे0 अथवा 5.6322 हे0 X 2= 11.2644 Ha. का Geo- referenced map in shape file or D.G.P.S. Map संलग्न किया जा रहा है, किन्तु प्रस्ताव के साथ समर्पित Part-II में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 12 हे0 एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 13 हे0 कुल 25 हे0 (Gross Area) का क्षतिपूरक वनरोपण मानचित्र एवं प्राक्कलन संलग्न कर अग्रसारित किया गया था। शेष 13 हे0 C.A. Land का DGPS Map समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखा गया है प्राप्त होते ही समर्पित किया जाएगा।	

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन ~~सात~~–सात प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर यथोचित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः दिनांकः

प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः   दिनांकः

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित ।

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः 3313   दिनांकः 12/7/17

प्रतिलिपि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 हजारीबाग को उनके पत्रांक 1164 दिनांक 30.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र 13 हे0 का DGPS Map (Geo-referenced Map in shape file Hard & Soft Copy) अविलम्ब समर्पित करने की कृपा करें ।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

Received
13/07/17
(R.K. Tuder)